



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2018/वैशाख 24, 1940

No. 177]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2018/VAISAKHA 24, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2018

सं. 9/2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत जारी की गई प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 और परिशिष्टों में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/078/एएम-19/पीसी-4 और फा. सं. 01/94/180/019/एएम-19/पीसी-4.—समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत जारी प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 और परिशिष्टों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. पैरा 4.07(i) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(i) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी कर सकता है जहां निर्यात उत्पाद हेतु कोई सिओन/वैध तदर्थ मानदंड नहीं है अथवा जहां सिओन/तदर्थ मानदंड अधिसूचित/प्रकाशित किया गया है परंतु निर्यातक आवेदक द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर विनिर्माण प्रक्रिया में अतिरिक्त निविष्टियों का उपयोग करना चाहता है। इस प्रकार दावा किया गया अपशिष्ट मानदंड समिति द्वारा निर्णीत अपशिष्ट मानदंड के अधीन होगा। आवेदक मानदंड समिति के निर्णय का अनुपालन करने का वचन देगा। इससे संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.03 और 4.11 में दिए गए हैं।

3. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.27 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

“4.27 प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रत्याशा में अथवा उसके बाद में निर्यात/मान्य निर्यात आपूर्तियाँ”

- (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ईडीआई द्वारा तैयार फाइल संख्या जारी करने की तारीख से किए गए निर्यात मान्य निर्यात आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/मान्य निर्यात आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोतलदान बिल/कर बीजक मान्य निर्यात पृष्ठांकित करना होगा। निर्यात/मान्य निर्यात आपूर्ति दस्तावेज (दस्तावेजों) में छूट प्राप्त सामग्री/खपत की गई निविष्टियां और निर्यात एवं आयात मदों की तकनीकी विशेषताओं का ब्यौरा भी होना चाहिए, जैसा भी मामला हो।
- (ख) यदि आवेदन अनुमोदित किया जाता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निविष्टि/उत्पाद मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। यदि बीच की अवधि (अर्थात् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि और प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि) में मानदंडों में परिवर्तन हो जाता है, तो प्राधिकार-पत्र, मानदंडों में संशोधन अधिसूचित किए जाने तक पहले से किए गए अनंतिम निर्यातों/मान्य निर्यात आपूर्तियों के अनुपात में जारी किया जाएगा। निर्यात के शेष हिस्से के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/प्रक्रिया लागू होगी।
- (ग) स्कोमैट मदों का निर्यात प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमत नहीं होगा जब तक कि आवेदक द्वारा अपेक्षित स्कोमैट प्राधिकार-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए।
- (घ) पूर्व-आयात शर्त के साथ निविष्टियों पर ऐसी निविष्टियों के आयात से पूर्व किए गए निर्यात/मान्य निर्यात आपूर्तियों हेतु की गई पुनः पूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.45 (क) (iv) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“(iv) वार्षिक आवश्यकता हेतु प्राधिकार पत्र केवल तब ही जारी होगा जब प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि पर सिओन अथवा वैध तदर्थ मानदंड मौजूद हों। तथापि, वार्षिक आवश्यकता हेतु कोई भी प्राधिकार पत्र जारी नहीं होगा जहां निविष्टि परिशिष्ट-4 ज में सूचीबद्ध है।”

5. परिशिष्ट-4 च और परिशिष्ट 4 ज में संशोधन किए जाते हैं। संशोधित परिशिष्ट इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न किए जाते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

- अब वार्षिक आवश्यकता के लिए भी अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी किए जा सकते हैं जहां परिणामी उत्पाद के लिए तदर्थ मानदंड मौजूद हों।
- मैनुअल रूप से बीआरसी और पोतलदान बिल की निर्यातक प्रतिलिपि की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- ईओडीसी के लिए दस्तावेज की आवश्यकताओं में स्पष्टता लाने और उनमें समरूपता लाने के लिए अन्य संशोधन किए गए हैं।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

ए एन एफ - 4 च

**अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए विमुक्ति/गैर बन्ध प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
[कृपया आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अंत में दिए गए दिशा निर्देश देखें]**

1	आईईसी संख्या		ब्रांच कोड	
---	--------------	--	------------	--

2. जिसके लिए आवेदित है: विमुक्ति (ई ओ डी सी)/नो बाण्ड प्रमाण पत्र (बांड से छूट):

3. (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

i. अग्रिम प्राधिकार पत्र सं.	
जारी करने की तिथि	

7. संयोजन शुल्क भुगतान का विवरण

क्रम सं.	एफओबी में कमी (अमेरिकी डॉलर में)	समतुल्य रूपरे में कमी	प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के अनुसार भुगतान किए जाने वाला संयोजन शुल्क	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि और भुगतान का तरीका

8. अप्रयुक्त मदों का ब्यौरा जो आयात के समय पर आयात करने के लिए प्रतिबंधित है:

क्रम सं.	आयात मद	अप्रयुक्त मात्रा	सीआईएफ मूल्य	भुगतान करने योग्य संयोजन शुल्क की राशि	भुगतान की गई संयोजन शुल्क की राशि (तिथि और भुगतान का तरीका)

घोषणा/वचनबद्धता

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

1. इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। इस आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों, उसके तहत बने नियमों व आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और निर्यात व आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण का पालन करने का वचन देते हैं।
3. आरबीआई द्वारा निर्धारित अवधि अथवा आरबीआई की अनुमति से विस्तारित अवधि के बाद, कोई निर्यात आय बकाया नहीं है।
4. आवेदन में यथा उल्लिखित माल भाड़ा, बीमा राशि तथा कमीशन मूल्य वास्तविक सौदा मूल्यों पर आधारित है।
5. पात्रता निर्धारण के प्रयोजन हेतु कमीशन राशि को हटा दिया गया है।
6. कि मैंने/हमने एएनएफ 1 में आईईसी प्रोफाइलों को अद्यतन किया है।
7. हमें निम्नलिखित अधिनियमों (समय-समय पर यथा संशोधित) में किसी के भी तहत दंडित नहीं किया गया है: (i) सीमा शुल्क अधिनियम 1962, (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, (iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, और (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (v) विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी संबंधी गतिविधियों के निवारण संबंधी अधिनियम 1974ख
8. मैं विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय पता
दूरभाष सं.
आवासीय पता
ई मेल पता

आवेदकों हेतु दिशा निर्देश**(कृपया प्रक्रिया पुस्तक का पैराग्राफ 4.46, 4.47 देखें)**

1. विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार आवेदन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भरा जाएगा।
2. कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करें:-

क. वास्तविक निर्यातों के लिए

- (i) परिशिष्ट 2प में दिए गए फार्म में निर्यात और प्राप्तियों के ई-बीआरसी/बैंक प्रमाण-पत्र अथवा दस्तावेजों के सीधे लेन-देन के मामले में विदेश आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) अथवा निर्यात आय की ऑफसैटिंग के मामले में परिशिष्ट 2ठा तथापि, प्राधिकार पत्र धारकों को ईओडीसी की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू होने तक प्रक्रिया पुस्तक (2009-2014) के अनुसार परिशिष्ट-22 क के प्रारूप में बीआरसी जमा करने का विकल्प होगा।
- (ii) शिपिंग बिल (बिलों) की ईपी प्रति जिसमें किए गए पोत लदान के विवरण हों अथवा एसईजैड को निर्यात के मामले में निर्यात बिल हो। तथापि ईडीआई पत्तनों से पोत लदानों के लिए निर्यात दायित्व के लिए शिपिंग बिलों की हार्ड प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। परिपत्र सं. 55/2016 सीमा शुल्क दिनांक 23.11.2016 के अनुसार जब भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यातकों को पोतलदान बिल की ई पी प्रति के प्रिंट आऊट उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो आवेदक को आरए को पोतलदान बिलों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने तक पोत लदान बिल की स्वयं प्रमाणित निर्यातक प्रति को प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त होगा।
- (iii) किए गए निर्यात और आयात तथा निर्यात दायित्व के निर्वहन हेतु निर्यात किए गए मर्चों में निविष्टियों की वास्तविक खपत का विवरण तैयार किया जाए और स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए।
- (iv) मूल्य संवर्धन के प्रयोजन हेतु निर्यात के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, यदि कोई हो, को विदेशी एजेन्सी कमीशन को हटाने के बाद निर्धारित किया जाएगा।
- (v) उन मामलों में जहाँ निर्यातित माल हेतु निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट/आईटीसी क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया हो, अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित माल निर्यात दायित्व की समाप्ति के बाद भी केवल शुल्क योग्य माल विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा चाहे उसी फैक्ट्री के भीतर अथवा बाहर हो (सहायक विनिर्माता द्वारा), जिसके लिए प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा स्वतंत्र सनदी लेखाकार, या लागत लेखाकार से निर्यातक के विकल्प से, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

ख. मान्य निर्यातों के लिए :

- (i) जीएसटी नियमों के अंतर्गत यथा उल्लिखित आपूर्तियों हेतु कर बीजक की एक प्रति जो कि सामग्री प्राप्त करने वाली यूनिट और उनके क्षेत्राधिकार के उत्पाद/सीमा शुल्क प्राधिकारियों, जो आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा, मूल्य और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करते हैं द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो। तथापि ऐसी मदों जो गैर उत्पाद शुल्क योग्य हों तथा उत्पाद शुल्क योग्य मदों की गैर उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद का उत्पादन करने वाली यूनिट को 01.07.2017 के पहले की आपूर्ति के मामले में उत्पाद प्रमाणन के स्थान पर परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र (पीएसी) जिसमें आपूर्ति की मात्रा, मूल्य और आपूर्ति की तारीख हो, स्वीकार्य होगी। तथापि, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को आपूर्ति के संबंध में जीएसटी पॉलिसी विंग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी, दिनांक 6 नवम्बर, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तदनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत कर बीजक की प्रति के साथ फॉर्म क की प्रति को मान्य निर्यात आपूर्ति के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तथापि, मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतिम निर्यातक (अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए धारक) द्वारा किए जाने वाले निर्यात हेतु सीधे पत्तन को उत्पाद की आपूर्ति के मामले में एचबीपी के पैरा 4.30 के अनुसार पोतलदान की प्रति जिसमें मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के रूप में घरेलू आपूर्तिकर्ता का नाम, अंतिम निर्यातक और मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता की फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. के साथ पृष्ठांकित हो, प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) परिशिष्ट 7घ में दिए गए प्रपत्र में परियोजना प्राधिकारी से भुगतान प्रमाण पत्र जिसकी ईबीआरसी अथवा एचबीपी (2009-14) के अनुसार परिशिष्ट-22 ख के प्रारूप में बीआरसी द्वारा पुष्टि की गई हो।
- (iii) आपूर्तियों का एक विवरण जिसमें आपूर्ति बीजकों का वर्णन हो और बीजक तथा उत्पाद के विवरण के अनुसार बीजक सं., तारीख और एफओआर मूल्य दर्शाया गया हो।
- (iv) आयात की प्रविष्टिवार मद का बिल, आयात की मात्रा और इसकी सीआईएफ मूल्य दर्शाते हुए आयात का एक विवरण।

- (v) उन मामलों में जहाँ निर्यातित माल हेतु निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट/आईटीसी क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया हो, अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित माल निर्यात दायित्व की समाप्ति के बाद भी केवल शुल्क योग्य माल विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा चाहे उसी फैक्ट्री के भीतर अथवा बाहर हो (सहायक विनिर्माता द्वारा), जिसके लिए प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा स्वतंत्र सनदी लेखाकार, या लागत लेखाकार से निर्यातक के विकल्प से, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

एएनएफ 4 छ

शुल्क मुक्त आयात-प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (एआरओ और अवैधीकरण पत्र सहित) को जारी करने के लिए आवेदन

(कृपया आवेदन को आनलाईन भरने से पहले अंत में दिए गए दिशानिर्देशों को देखें)

भाग क

आर ए को आवेदन करने के लिए

1	आईईसी संख्या		ब्रांच कोड			
2	ई-कॉम संदर्भ संख्या	प्रस्तुति की तिथि	आर ए का नाम और कोड	आरए फाइल सं.	आरए फाइल तिथि	
3	आरसीएमसी संख्या	तिथि	जारी करने वाले प्राधिकारी	वैधता अवधि	उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है।	
4	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क/जीएसटी प्राधिकारी का पता जिसके क्षेत्राधिकार के तहत निर्यातित माल का विनिर्माण किया गया।			यदि आवेदक मर्चेन्ट निर्यातक है तो सहायक विनिर्माता की फैक्ट्री/परिसर जहां निर्यातित माल का विनिर्माण किया गया का जीएसटीआईएन और पता	
5	आवेदन शुल्क ब्योरा	बैंक रसीद/ इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण सं./क्रेडिट कार्ड	बैंक का नाम और शाखा जिस पर भुगतान लिया जाएगा यदि लागू हो	भुगतान का तरीका	भुगतान की तिथि	राशि (₹. में)

13. निर्यात उत्पाद में प्रयोग किए जाने वाले अन्य सामानों और प्राधिकार को छोड़कर जिस पर शुल्क वापसी लाभ लिए जाने हैं, को अन्य साधनों से आयातित/प्राप्त किया जाना है, (नहीं भरा जाएगा यदि शुल्क वापसी के लाभ का दावा नहीं किया जा रहा है) का विवरण

क्रमांक	आयातित मद			स्वदेशी रूप से प्राप्त मदें		
	नाम, तकनीकी विशिष्टता/ गुणवत्ता आदि	मीट्रिक यूनिटों में मात्रा	सीआईएफ मूल्य	नाम, तकनीकी विशिष्टता/ गुणवत्ता आदि	मीट्रिक यूनिटों में मात्रा	मूल्य

14. मान्य निर्यात वर्ग (अग्रिम प्राधिकार/ डीएफआईए/ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की आपूर्तियों के सिवाय) के तहत किए गए निर्यातों के मामले में, कृपया प्रस्तुत करें:-

i. परियोजना प्राधिकारी का नाम

ii. परियोजना प्राधिकारी का पता

iii. परियोजना प्राधिकारी का जीएसटीआईएन

iv. आपूर्ति आदेश संख्या

v. आपूर्ति की वितरण अवधि

vi. क्रेडिट जिसके तहत परियोजना को वित्तीय सहायता दी गई है

vii. तरीका जिसके द्वारा आदेश अधिप्राप्त किया गया है (आईसीबी आदि)

15. अवैधीकरण पत्र/एआरओ जारी करने के लिए अनुरोध के मामले में (कृपया निशान लगाएँ) (✓)

क. अवैधीकरण पत्र

ख. अग्रिम विमुक्ति आदेश (एआरओ)

16. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें: (i और ii भरने की जरूरत नहीं है यदि आवेदक डीएफआईए को जारी करने के साथ अवैधीकरण पत्र/एआरओ जारी करना चाहता है)

i. शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र सं.

ii. शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को जारी करने की तारीख

iii. स्वदेशी उत्पादक/एसटीई जहाँ से मदों को प्राप्त किया जाता है, का नाम और आईईसी सं.

iv. स्वदेशी उत्पादक/एसटीई जहाँ से मदों को प्राप्त किया जाता है, का पता
v. स्वदेशी उत्पादक का जीएसटीआईएन
vi. स्वदेशी उत्पादक/एसटीई का क्षेत्रीय प्राधिकारी
vii. स्वदेशी उत्पादक/एसटीई द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मदें क. अलग-अलग मदों का विवरण ख. अलग-अलग मद को प्राप्त किए जाने की मात्रा ग. अलग-अलग मद को प्राप्त किए जाने का मूल्य

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. हम समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, उसके तहत बने नियमों व आदेशों और विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक तथा आयात और निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के प्रावधानों का पालन करने की शपथ लेते हैं।
3. फर्म/कम्पनी का कोई भी स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्त्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्त्ता के रूप में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी सूची में आती है अथवा महानिदेशक, विदेश व्यापार की जानकारी में प्रतिकूल है।
4. मैंने/हमने निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में शामिल स्कोमेट मदों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित/निर्यात के लिए प्रस्तावित मद(मदें) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मद का निर्यात किया गया है/किया जाना है। (रेखांकित हिस्से को हटा दिया जाएगा, यदि स्कोमेट मद के लिए निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।)
5. आर बी आई द्वारा निर्धारित अवधि अथवा आरबीआई की अनुमति से विस्तारित अवधि के बाद, कोई निर्यात आय बकाया नहीं है।
6. मैं/हम एएनएफ-1 के आईईसी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं।
7. हमे निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है:
(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, (iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और (iv) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999, (v) विदेश विनिमय संरक्षण, तस्करि गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974ख
8. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय पता
फोन
आवासीय पता
ई मेल पता

आवेदकों हेतु दिशा निर्देश

(कृपया विदेश व्यापार नीति का पैराग्राफ 4.29 और प्रक्रिया पुस्तक का पैराग्राफ 4.65 और 4.69 देखें)

1. आवेदन को डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए आनलाइन ही भरा जाएगा।
2. आरसीएमसी ब्यौरे को देने की आवश्यकता नहीं है यदि इसे एएनएफ-1 में पहले ही अद्यतन किया गया है।
3. परिशिष्ट 2T के अनुसार आवेदन शुल्क को भरे जाने तथा वास्तविक/मान्य निर्यात के दस्तावेजों जैसा भी मामला हो, के साक्ष्य के रूप में कृपया बैंक रसीद/ईएफटी/क्रेडिट कार्ड विवरण को अपलोड करें।
4. डीएफआईए के अंतर्गत मान्य निर्यात/मध्यवर्ती आपूर्ति के तहत आपूर्ति किए जाने के मामले में अपेक्षित दस्तावेज:
 - क. अवैधीकरण पत्र यदि आपूर्ति निम्नलिखित मामले में की गई हो:
 - i. ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक
 - ii. अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक
 - iii. शुल्क मुक्त आयात का प्राधिकार पत्र
 तथापि, यदि मामला वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात से मध्यवर्ती आपूर्ति में परिवर्तन का हो तो ऐसे अवैधीकरण पत्र डीएफआईए के मोचन के समय भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
 - ख. उपर्युक्त क (i), (ii) और (iii) के अलावा तथा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को आपूर्ति किए जाने के मामले में परियोजना प्राधिकारी का प्रमाण पत्र
 - ग. मूल्य वर्धन के प्रयोजन हेतु निर्यात का पोत पर्यन्त निशुल्क (एफओबी) मूल्य का आकलन अभिकरण कमीशन, यदि कोई हो को छोड़कर किया जाएगा।
5. वास्तविक निर्यात हेतु अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:
 - क. परिशिष्ट 2 प में उल्लिखित रूप से ईबीआरसी/निर्यात एवं प्राप्ति संबंधी ईबीआरसी/बैंक का प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेजों के प्रत्यक्ष लेन देन के मामले में विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) अथवा निर्यात आय के समायोजन के मामले में परिशिष्ट 2ठ। तथापि निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा यदि पोत लदान पुष्ट किए गए अटल साख पत्र के विरुद्ध किए गए हैं अथवा बैंक द्वारा विनिमय पत्र को बिना शर्त लाभ उठाया है/सहयोजित/प्रत्याभूत किया गया है तथा इसकी निर्यात बैंक द्वारा पुष्टि तथा परिशिष्ट 2फ के कालम 14/15 में इसे बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया है। स्तरधारक हेतु अटल साख पत्र पर्याप्त होगा। इसके अलावा निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा यदि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) निर्यात आय की प्राप्ति की आवश्यकता को योग्यता के आधार पर माफ करता है तथा निर्यातक इस तथ्य के संबंध में भारत के विदेशी मिशन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि खरीददार से कोई निर्यात आय की वसूली नहीं की गई है। तथापि इसमें स्वयं माफ करने के मामले शामिल नहीं होंगे।
 - ख. पोतलदान बिल (बिलों) की निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति जिसमें किए गए पोतलदान का ब्यौरा होगा अथवा एसईजेड को निर्यात करने के मामले में निर्यात बिल। तथापि ईडीआई पत्तनों से पोतलदान हेतु ई ओ निर्वहन के लिए पोतलदान बिल (बिलों) की हार्ड कापी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिपत्र सं० 55/2016 सीमा शुल्क दिनांक 23.11.2016 के अनुसार जब भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यातकों को पोतलदान बिल की ई पी प्रति के प्रिंट आऊट उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो आवेदक के पास वास्तविक पोत लदान बिल की स्वप्रमाणित निर्यातक प्रति तब तक प्रस्तुत करने का विकल्प होगा जब तक कि क्षेत्रीय प्राधिकारियों के पास पोत लदान बिलों के आनलाइन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध न हो।
 - ग. निर्यात का विवरण जिसमें निर्यात का पोतलदान बिल वार ब्यौरा दिया जाएगा जिसमें पोतलदान बिल तथा निर्यात उत्पाद के वर्णन के अनुसार पोतलदान बिल संख्या, तिथि, एफओबी मूल्य प्रस्तुत किया जाए।
 - घ. आयात के प्रविष्टि बिल वार मद, आयात की मात्रा तथा इसके सीआईएफ मूल्य को दर्शाते हुए आयात का विवरण।
 - ङ. डीएफआईए में पृष्ठांकित निविष्टियों की खपत से संबंधित परिशिष्ट 4ज प्रपत्र में घोषणा।
 - च. यदि निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनेवेट क्रेडिट की सुविधा का लाभ ले लिया गया है तो निर्यात दायित्व पूरा कर लिए जाने के बाद भी वास्तविक प्रयोक्ता डीएफआईए के मद्दे आयातित माल का केवल शुल्क देय माल के विनिर्माण में उपयोग किया जाएगा चाहे इसका उपयोग समान फैक्ट्री या बाहर की फैक्ट्री (सहायक विनिर्माता द्वारा) में हो, जिसके लिए प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

6. मान्य निर्यात के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज।

(क) बीजक की एक प्रति या बीजकों का एक विवरण जो कि सामग्री प्राप्त करने वाली यूनिट और उनके क्षेत्राधिकार के उत्पाद/सीमा शुल्क प्राधिकारियों, जो आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा, मूल्य और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करते हैं द्वारा विधिवत रूप से क्षेत्राधिकार हो। तथापि ऐसी मदों जो गैर उत्पाद शुल्क योग्य हों तथा उत्पाद शुल्क योग्य मदों की गैर उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद का उत्पादन करने वाली यूनिट को 01.07.2017 के पहले की आपूर्ति के मामले में उत्पाद प्रमाणन के स्थान पर परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र (पीएसी) जिसमें आपूर्ति की मात्रा, मूल्य और आपूर्ति की तारीख हो, स्वीकार्य होगी। तथापि, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को आपूर्ति के संबंध में जीएसटी पॉलिसी विंग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी, दिनांक 6 नवम्बर, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तदनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत कर बीजक की प्रति के साथ फॉर्म क की प्रति को मान्य निर्यात आपूर्ति के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

(ख) परिशिष्ट-7घ में दिए गए प्रपत्र में परियोजना प्राधिकारी से भुगतान प्रमाण पत्र। मध्यवर्ती आपूर्ति/ मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को आपूर्ति के मामले में ईबीआरसी या बीआरसी के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक या ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी, जैसा भी मामला हो, से लाभ की प्राप्ति साबित करते हुए बैंक से दस्तावेजी साक्ष्य प्रक्रिया पुस्तक (2009-14) के तहत निर्धारित परिशिष्ट-22ख के प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, यदि अपराक्रम्य अन्तरदेशीय साख पत्र के मद्दे पोतलदान किया जाता है या बैंक द्वारा अन्तः देशीय विनिमय बिल को बिना शर्त लाभ उठाया है/ सह-स्वीकृत/गारंटीशुदा किया जाता है और इसे परिशिष्ट 22 ख के प्रपत्र में ईबीआरसी या बीआरसी, जैसा भी मामला हो, के अनुसार निर्यातक के बैंक द्वारा पुष्ट तथा बैंक द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो लाभ प्राप्त करने वाले की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा। स्तरधारकों के लिए अपराक्रम्य अन्तःदेशीय साख पत्र पर्याप्त होगा।

(ग) आपूर्ति बीजकों का ब्यौरा देते हुए तथा बीजक संख्या, तारीख, बीजकों के अनुसार एफओआर मूल्य तथा उत्पाद का विवरण दर्शाते हुए आपूर्ति का विवरण।

(घ) प्रविष्टि बिल वार आयात मद, आयात की मात्रा तथा इसके सीआईएफ मूल्य को दर्शाते हुए आयात का विवरण।

(ङ.) डीएफआईए में पृष्ठांकित निविष्टियों की खपत से संबंधित परिशिष्ट 4ज प्रपत्र में घोषणा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th May, 2018

No. 09 /2015-2020

Subject: Amendments in Handbook of Procedures 2015-20 and Appendices issued under FTP, 2015-20 – reg.

F. No. 01/94/180/078/AM 19/PC 4 & F. No. 01/94/180/019/AM 19/PC 4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 read with Para 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in the Handbook of Procedures 2015-2020 and Appendices issued under FTP 2015-20.

2. Para 4.07(i) is amended to read as under:

“(i) Regional Authority may also issue Advance Authorisation where there is no SION/valid Ad hoc Norms for an export product or where SION / Ad hoc norms have been notified / published but exporter intends to use additional inputs in the manufacturing process, based on self declaration by applicant. Wastage so claimed shall be subject to wastage norms as decided by Norms Committee. The applicant shall submit an undertaking to abide by decision of Norms Committee. The provisions in this regard are given in paragraph 4.03 and 4.11 of FTP.”

3. Para 4.27 of Handbook of Procedures is amended to read as under:

“4.27 Exports/Deemed Export supplies in anticipation or subsequent to issue of an Authorisation.

(a) Exports/Deemed Export supplies made from the date of EDI generated file number for an Advance Authorisation, may be accepted towards discharge of EO. Shipping Bills/Tax Invoices should be endorsed with File Number or Authorisation Number to establish co-relation of exports/Deemed Export supplies with Authorisation issued. Export/Deemed Export supply document(s) should also contain details of exempted materials/inputs consumed and technical characteristics of export and import items, as the case may be.

(b) If application is approved, authorisation shall be issued based on input/output norms in force on the date of receipt of application by Regional Authority. If in the intervening period (i.e. from date of filing of application and date of issue of authorisation) the norms get changed, the authorization will be issued in proportion to provisional exports/Deemed Export supplies already made till any amendment in norms is notified. For remaining exports, Policy/ Procedures in force on date of issue of authorisation shall be applicable.

(c) The export of SCOMET items shall not be permitted against an Authorisation until and unless the requisite SCOMET Authorisation is obtained by the applicant.

(d) Inputs with pre-import condition shall not be considered for replenishment against Exports/Deemed Export supplies made before import of such inputs.”

4. Para 4.45(a)(iv) of Handbook of Procedures is amended to read as under:

“(iv) Authorisation for Annual Requirement shall be issued only where SIONs or valid Ad hoc norms exists on the date of issue of Authorisation. However, no Authorisation for Annual Requirement shall be issued where input is listed in Appendix-4J.”

5. Amendments are made to Appendix-4F and Appendix-4J. The revised appendices are annexed to this Public Notice.

Effect of this Public Notice:

(i) Now Advance Authorization for Annual Requirement can also be issued where Ad hoc norms exist for the resultant product. (ii) Enabling provision is made to submit manual BRCs and self attested copy of Exporter Copy of shipping bill. (iii) Other amendments made to bring clarity and harmonise documentation requirements for EODC.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

ANF- 4F

Application for Redemption / No Bond Certificate against Advance Authorisation

[Please see guidelines given at the end before filling the application online]

1	IEC No.		Branch Code	
---	---------	--	-------------	--

2. Request for: Redemption (EODC) / No Bond Certificate (Bond Waiver):

3. **(Strike out whichever is not applicable)**

i. Advance Authorisation No.	
Date of Issue	
ii. CIF Value	
a. In Indian Rupees	
b. In free foreign exchange	
iii. Export Obligation imposed in Authorisation	
a. In Indian Rupees	
b. In free foreign exchange	
iv. Export Obligation Period:	
a. Date of expiry of initial export obligation period	
b. Date of expiry of extended export obligation period	
c. Last date of shipment	
v. Norms details:	
a. Serial Number of SION (in case of fixed norms)	
b. Meeting number, date, Case No. of the Norms Committee vide which norms have been ratified (in case of Para 4.07 cases)	

4. Details of physical exports / deemed exports made

Sl. No.	Products Exported/ Supplied (with Technical specifications/ grade etc. wherever required)	Shipping Bill/ Invoice/ ARE3 / CT 3/ Form A and Tax Invoice		Quantity Exported / Supplied			FOB Value			
		No	Date	Physical exports		Deemed Exports	Total	In case of physical exports (as per S/B)	In case of deemed exports (as per invoices)	Actually amount in USD and in INR realized
				Direct exports	Third Party exports					

5. Details of imports made against the Authorisation:

Sl. No.	Item of Import (with Technical specifications/grade etc. wherever required)	Imports allowed in the Authorisation		Bill of Entry Details		Actual Imports made	
		Qty allowed	CIF value (in FFE)	No.	Date	Quantity imported	CIF Value utilised (in FFE)

6. Details of excess imports made proportionate to the exports obligation fulfilled:

Sl. No.	Item of Import	Quantity	Value	Duty liability and payment Details			
				Customs Duty	Interest	Total amount paid	Date of payment

7. Details of payment of payment composition fee:

Sl. No.	Shortfall in FOB (in US\$)	Shortfall in equivalent Rs.	Composition Fee required to be paid in terms of Para 4.49 of HBP	Amount paid	Date of payment and mode of payment

8. Details of unutilised items which are restricted to be imported at the time of import:

Sl. No.	Item of import	Unutilised quantity	CIF value	Amount of composition fee payable	Amount of composition fee paid (date and mode of payment)

DECLARATION / UNDERTAKING

I / We hereby declare that:

- the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- we would abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, the Foreign trade Policy, the Handbook Procedure and the ITC(HS) Classification of Export & Import Items, as amended from time to time.
- No export proceeds are outstanding beyond the prescribed period as laid down by RBI or such extended period for which RBI permission has been obtained.
- Freight, Insurance and Commission values as mentioned in the application are based on actual transaction values.
- For the purpose of calculating entitlement, commission amount has been excluded.

6. That I/We have updated the IEC profiles in ANF 1.
7. We have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, and (iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999; (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B.
8. I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the FTP.

Place
Date

Signature of the Applicant
Name
Designation
Official Address
Telephone
Residential Address
Email Address

GUIDELINES FOR APPLICANTS

[Please see Paragraph 4.46, 4.47 of HBP]

1. Application shall be filed by the authorised signatory as per para 9.06 of FTP.
2. Please upload following documents:
 - a. **For physical exports:**
 - i. e-BRC / Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix 2U or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix 2L in case of offsetting of export proceeds. However, authorisation holders have the option to submit BRC in the format of Appendix-22A as per HBP (2009-2014) till such time online filing of EODC is enabled.
 - ii. EP copy of the shipping bill(s) containing details of shipment effected or bill of export in case of export to SEZ. However no hard copy of Shipping Bill(s) shall be required to be filed for EO discharge for shipments from EDI Ports. Wherever printouts of EP Copy of shipping bill is not provided to exporters by Customs Authorities in terms of Circular No-55/2016-Customs dated 23.11.2016, applicant will have the option to submit self-attested copy of Exporter Copy of shipping bill till such time facility of online verification of shipping bills is made available to RAs.
 - iii. Statement of exports and Imports made and actual consumption of inputs in the items exported towards discharge of export obligation prepared and duly certified by Independent Chartered Accountant.
 - iv. FOB value of export for the purpose of V.A shall be arrived at after excluding the Foreign Agency Commission, if any.
 - v. In case where CENVAT credit / ITC credit facility on inputs have been availed for the exported goods, the goods imported against Advance Authorisation shall be utilized only in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer) even after completion of export obligation, for which the authorisation holder shall produce a certificate from either the jurisdictional Central Excise authority /Customs authority or Independent Chartered Accountant or Cost Accountant, at the option of the exporter.
 - b. **For deemed exports:**
 - i. A copy of Tax invoice for supplies as prescribed under GST rules duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise/Customs authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However in case of supply before 1.7.2017, of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification. However, in respect of supplies to EOU/EHTP/STP/ BTP, procedure prescribed in Circular No-14/14/2017-GST dated 6th November, 2017 issued by GST Policy Wing, Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue shall be followed. Accordingly, copy of Form A along with copy of Tax Invoice duly endorsed by recipient shall be considered as proof of deemed export supplies. However in case of supply of the product by the Intermediate supplier to the port directly for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA) in terms of paragraph 4.30 of HBP, copy of the shipping bill with the name of domestic supplier as Intermediate supplier endorsed on it along with the file No. / Authorisation No. of the ultimate exporter and the intermediate supplier shall be required to be furnished.

- ii. Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix 7D supported by eBRC or BRC in the format of Appendix-22B as per HBP (2009-2014).
- iii. A statement of supplies giving details of supply invoices and indicating the invoice number, date, FOR value as per invoices and description of product.
- iv. A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.
- v. In case where CENVAT/ITC credit facility on inputs have been availed for the exported goods, the goods imported against Advance Authorisation shall be utilized only in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer) even after completion of export obligation, for which the authorisation holder shall produce a certificate from either the jurisdictional Central Excise Supdt. or Independent Chartered Accountant or Cost Accountant, at the option of the exporter.

ANF-4 G**Application for issue of Duty Free Import Authorisation (DFIA) (including for ARO and Invalidation Letter)****[Please see guidelines given at the end before filling the application online]****PART A****For filing Application to RA**

1	IEC No.		Branch Code	
2	Ecom. Reference No:	Date of Submission:	Name & Code of RA:	RA File No RA File Date
3	RCMC Number	Date	Issuing Authority	Validity Period Products for which registered
4	GSTIN	Address of the jurisdictional Customs/GST Authority under whose jurisdiction the exported goods were manufactured.		In case applicant is a merchant exporter, GSTIN and Address of the factory/premises of supporting manufacturer where exported goods were manufactured.
5	Application Fee details	Bank Receipt/Electronic Fund Transfer No. / Credit Card	Name & Branch of the Bank on which drawn, if applicable	Mode of Payment Date of Payment Amount (in Rs.)
6	Industrial Registration Details – MSME/LOI/IL / IEM Registration Number	Issuing Authority	Date of Issue	Products for which registered
7	Port of Registration for the purpose of imports (For details, please refer to as Paragraph 4.37 of HBP)			
8	Value Addition (in %)			

9.	Total CIF value of Imports applied for	Total FOB/FOR value of Exports to be made, excluding commission
i. In Rupees		
ii. In currency of imports		
iii. In US \$		

10.

- (a) Application made for Export Product Group:
(b) Application made under which Serial No. of SION:

11. Details of items exported/supplied under the DFIA

S. No.	Item Description	Item Technical Characteristics/Quality etc.	ITC(HS) Code	Quantity	Unit of Measurement	FOR/FOB Value (in Rs)	FOR/FOB value (in convertible currency)	
							Value	Currency Code

12. Details of items sought to be imported duty free under DFIA

S. No.	Item Description	Item Technical Characteristics/Quality etc.	ITC(HS) Code	Quantity	Unit of Measurement	CIF Value (in Rs.)	CIF value (in freely convertible currency)		Total exemption from Customs duty
							Value	Currency Code	

13. Details of other materials to be used in the export product and sought to be imported/procured from sources other than the Authorisation on which drawback benefits is to be availed (not to be filled if Drawback benefits are not being claimed)

S. No.	Imported Item			Indigenously Procured Item		
	Name, Technical Characteristics/Quality etc	Quantity in metric units	CIF Value	Name, Technical Characteristics/Quality etc	Quantity in metric units	Value

14. In case of exports made under Deemed Exports category (except for supplies to Advance Authorisation/DFIA/ EPCG Authorisation holders/EQU/EHTP/STP/BTP), please furnish:

- i. Name of the Project Authority
ii. Address of the Project Authority
iii GSTIN of the Project Authority
iv. Supply Order No.
v. Delivery period of Supply
vi. Credit under which project is financed
vii. Method by which order is procured (ICB etc.)

15. In case of request for issuance of Invalidation letter/ ARO (Please tick)(√) :	
a. Invalidation letter	
b. Advance Release Order (ARO)	

16. If so, then please furnish the following details: (i and ii below need not be filled up in case the applicant desires the Invalidation Letter/ARO along with the issuance of DFIA)

i. Duty Free Import Authorisation No.
ii. Date of Issue of Duty Free Import Authorisation
iii. Name & IEC No of the Indigenous producer / STE from where items are to be procured
iv. Address of the Indigenous producer / STE from where items are to be procured
v. GSTIN of the indigenous producer.
vi. Regional Authority of the Indigenous producer / STE
vii. Items to be supplied by the Indigenous producer / STE
a. Description of individual items
b. Quantity of individual items to be procured
c. Value of individual items to be procured

DECLARATION / UNDERTAKING

I / We hereby declare that:

1. The particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
2. We would abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, the Foreign trade Policy, the Handbook Procedure and the ITC(HS) Classification of Export & Import Items, as amended from time to time.
3. None of the Proprietor/Partner(s)/Director(s)/Karta/Trustee of the firm/company, as the case may be, is/ are a Proprietor/Partner(s)/Director(s)/Karta/Trustee in any other firm/Company which has come to the adverse notice of DGFT or in the caution list of RBI.
4. I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export-Import Items, and that the item(s) exported / proposed to be exported does not fall within this list and that I/We agree to abide by the provisions of the Policy for export of SCOMET items contained in the Foreign Trade Policy, Schedule 2 of ITC (HS) and the HBP v1, irrespective of the scheme under which the item is exported / proposed to be exported (the underlined portion will be deleted in case an application for export license for SCOMET item is being filed).
5. No export proceeds are outstanding beyond the prescribed period as laid down by RBI or such extended period for which RBI permission has been obtained.
6. That I/We have updated the IEC profiles in ANF 1.
7. We have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, and (iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999; (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B.
8. I am authorised to verify and sign this declaration as per paragraph 9.06 of the FTP.

Place

Signature of the Applicant

Date

Name

Designation

Official Address

Telephone

Residential Address

Email Address

GUIDELINES FOR APPLICANTS

[Please see paragraphs 4.29 of FTP & 4.65, 4.69 of HBP]

1. Application shall be filed online only using digital signature.
2. RCMC details need not be given if the same have already been updated in the ANF-1.
3. Please upload Bank Receipt /EFT / Credit Card details evidencing payment of application fee in terms of Appendix 2K and the documents for physical / deemed exports, as the case may be.
4. Documents required in case of supplies under deemed export / intermediate supplies under DFIA:
 - a. Invalidation letter in case of supplies to
 - i. an EPCG Authorisation holder;
 - ii. an Advance Authorisation holder;
 - iii. a Duty Free Import Authorisation

However, in case of switch over from physical exports / deemed exports to intermediate supplies, such invalidation letters can also be furnished at the time of redemption of DFIA.
 - b. Project Authority Certificate in case of supplies other than (a) (i), (ii) & (iii) above and to EOU/ EHTP/ STP/BTP units;
 - c. FOB value of export for the purpose of V.A shall be arrived at after excluding the Agency Commission, if any.
5. Documents to be uploaded for physical exports:
 - a. e-BRC/ Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix 2U or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix 2L in case of offsetting of export proceeds. However, realisation of export proceeds shall not be insisted if the shipments are made against confirmed irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally availed/ Co- Accepted / Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and certified by the bank in column 14/15 of Appendix 2V. For status holders, irrevocable letter of credit would suffice. Further, realisation of export proceeds shall not be insisted, if the Reserve Bank of India (RBI) writes off the requirement of realisation of export proceeds on merits and the exporter also produces a certificate from the Foreign Mission of India about the fact of non recovery of export proceeds from the buyer. However this would not include self write off cases.
 - b. EP copy of the shipping bill(s) containing details of shipment effected or bill of export in case of export to SEZ. However no hard copy of Shipping Bill(s) shall be required to be filed for EO discharge for shipments from EDI Ports. Wherever printouts of EP Copy of shipping bill is not provided to exporters by Customs Authorities in terms of Circular No-55/2016-Customs dated 23.11.2016, applicant will have option to submit self-certified copy of Exporter Copy of shipping bill till such time facility of online verification of shipping bills is made available to RAs.
 - c. A statement of exports giving details of shipping bill wise exports indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product.
 - d. A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.
 - e. Declaration in Appendix 4H format related to consumption of the inputs endorsed in the DFIA.
 - f. In case where CENVAT credit facility on inputs have been availed for the exported goods, the goods imported against Actual User DFIA shall be utilized only in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer) even after completion of export obligation, for which the authorisation holder shall produce a certificate from the jurisdictional Central Excise Suptd.
6. Documents to be uploaded for deemed exports:
 - a. A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a Project Authority Certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification. However, in respect of supplies to EOU/EHTP/ STP/ BTP, procedure prescribed in Circular No-14/14/2017-GST dated 6th November, 2017 issued by GST Policy Wing, Central Board of Excise and Customs, Department of revenue shall be followed. Accordingly, copy of Form A

along with copy of Tax Invoice duly endorsed by recipient shall be considered as proof of deemed export supplies.

- b. Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix 7D. In the case of Advance Authorisation for Intermediate Supplies/ deemed exports, supplies to the EOUs/ EHTPs/STPs/ BTPs, documentary evidence from the bank substantiating the realization of proceeds from the Authorisation holder or EOUs/EHTPs/ STPs/ BTPs, as the case may be, as per eBRC or BRC in the format of on Appendix-22B prescribed under HBP (2009-2014), shall be furnished. However realization of proceeds shall not be insisted upon if the shipments are made against confirmed irrevocable inland letter of credit or inland bill of exchange is unconditionally availed / Co-Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporter's bank and certified by the bank as per eBRC or BRC in the format of appendix 22B, as the case may be. For status holders, irrevocable inland letter of credit would suffice.
- c. A statement of supplies giving details of supply invoices and indicating the invoice number, date, FOR value as per invoices and description of product.
- d. A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.
- e. Declaration in Appendix 4H format related to consumption of the inputs endorsed in the DFIA.